


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश, कॉलम संख्या-02 में वर्णित आदेशांक/ दिनांक में निम्नानुसार (कॉलम संख्या-06 में उल्लेखितानुसार) आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है :-

क्रं.स	विभाग से जारी पूर्व आदेशांक	नाम कार्मिक मय पद	कहां से	कहां को	आंशिक संशोधन का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बी-2/45002/प्रधाना/स्था/2018 दि 30-05-2018	श्री अशोक कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य	राउमावि सिरसी से राउमावि नोरंगपुरा के आदेश पर।	राउमावि0 निवारु जिला जयपुर	मूल स्थानान्तरण आदेश में श्री गुप्ता के सन्दर्भ में आदेश की प्रभावी दिनांक 01-07-2018 होने के आधार पर बीच की समयावधि के लिए जिशिअ0 माध्यमिक प्रथम जयपुर कार्यालय में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया जाता है। तदनुसार दिनांक 02-07-18 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण अनुमत किया जाता है।

उपरोक्त कार्मिक के सम्बन्ध में आदेश की प्रभावी दिनांक संशोधित किये जाने के कारण बीच की समयावधि में सम्बन्धित कार्मिक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम, जयपुर कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे। सम्बन्धित जिशिअ0 माध्यमिक प्रथम, जयपुर आदेश की प्रभावी दिनांक से एक-दिवस पूर्व कार्मिक को नव पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जाना भी सुनिश्चित करावें।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दि 05-06-2018

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/आंशिक संशोधन/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही तथा पालनार्थ प्रेषित है :-

- 01 उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 02 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 04 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
- 05 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर